

दिल्ली विधान सभा

सचिवालय भाग-2

६ विधान सभा एवं अन्य गालों के घारे में सामाजिक जाह्जारी ॥

मुख्यमंत्री, अप्रैल 6, 1994/चैत्र 16, 1916 (शक)

तंथा-80

दिल्ली महिला आयोग विधेयक, 1994

६ श्री सुरेन्द्र पाल रातावाल, मंत्री समाज कल्याण द्वारा सचिव, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित पत्र नं ०-२७६० दिनांक ६-४-१९९४ की प्रतिलिपि ॥

"उप-राज्यपाल महोदय को दिल्ली महिला आयोग विधेयक, 1994 की विषयवस्तु बतास जाने पर उन्होंने इस विधेयक पर विधान सभा द्वारा खण्ड २२^{३५} के अन्तर्गत विचार करने की सिफारिश की है।"

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI VIDHAN SABHA

BULLETIN PART - II

(General information relating to legislative and other matters)

Wednesday, April 6, 1994/Chaitra 16, 1916 (Saka)

No. 80

The Delhi Commission for Women Bill, 1994

(Copy of letter No. 2760 dated 6th April, 1994 from
Shri S.P. Ratawal, Minister of Social Welfare to the
Secretary, Delhi Vidhan Sabha)

"Having been apprised of the subject matter
of the Delhi Commission for Women Bill, 1994,
the Lt. Governor, in pursuance of the provi-
sions of the sub-section 3 of the section 22,
recommends the consideration of the said Bill
by the Vidhan Sabha".

P.N. GUPTA
SECRETARY